

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/वि0प0(विविध)-24/2016 परि0

आदेश


पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के निमित्त प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध दिनांक 17.12.2016 से 24.12.2016 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य हेतु निम्नलिखित मोटरयान निरीक्षकों को जिला परिवहन कार्यालय, पटना में इनके पदनाम के समक्ष अंकित तिथियों के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है।

क्रम	नाम	पदनाम	तिथि
1	श्री सुजीत कुमार	मोटरयान निरीक्षक, नवादा	17.12.16 से 20.12.16 तक
2	श्री विनोद कुमार सिंह	मोटरयान निरीक्षक, नालंदा	17.12.16 से 20.12.16 तक
3	श्री अनुप कुमार सिंह	मोटरयान निरीक्षक, वैशाली, हाजीपुर	17.12.16 से 20.12.16 तक
4	श्री उपेन्द्र कुमार राव	मोटरयान निरीक्षक, पुवी चम्पारण, मोतिहारी	17.12.16 से 20.12.16 तक
5	श्री राकेश रंजन	मोटरयान निरीक्षक, बांका	17.12.16 से 20.12.16 तक
6	श्री पार्थ सारथी	मोटरयान निरीक्षक, पूर्णिया	21.12.16 से 24.12.16 तक
7	श्री दिलीप कुमार	मोटरयान निरीक्षक, गया	21.12.16 से 24.12.16 तक
8	श्री रंजीत कुमार	मोटरयान निरीक्षक, औरंगाबाद	21.12.16 से 24.12.16 तक
9	श्रीमती अर्चना कुमारी	मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद	21.12.16 से 24.12.16 तक
10	श्री संजय कुमार टाईगर	मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर	21.12.16 से 24.12.16 तक

2. इन्हे निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10.00 बजे जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के समक्ष योगदान करते हुये उनके मार्ग दर्शन में विशेष जांच अभियान को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को संबंधित मोटरयान निरीक्षकों का योगदान स्वीकृत करते हुये विशेष जांच अभियान को सम्पादित करने में उनका सहयोग लिया जाय।

4. पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना से अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से सामंजस्य स्थापित कर विशेष जांच अभियान को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।


राज्य परिवहन आयुक्त

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....7345..... पटना, दिनांक.....16/12/16


प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....7345..... पटना, दिनांक.....16/12/16

प्रतिलिपि: जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा/नालंदा/वैशाली/पूवी चम्पारण, मोतिहारी/बांका/पूर्णिया/गया/औरंगाबाद/जहानाबाद/मुजफ्फरपुर एवं संबंधित मोटरयान निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।